RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 463/2023

ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Jinnat House, Keshavkhod Marg, Mahalaxmi, Mumbai

----Appellant

Versus

1. Dhapu Devi W/o Late Pappu Ram, Aged About 31 Years, Rajasthan
2. Vishesh S/o Late Pappu Ram Ji, Aged About 11 Years, Minor Are Represented Through Their Mother Dhapu Devi Being Respodent No. 1, Resident Of Village Mandawas, Tehsil Rohel, District Pali.
3. Ranveer S/o Late Pappu Ram Ji, Aged About 9 Years, Minor Are Represented Through Their Mother Dhapu Devi Being Respodent No. 1, Resident Of Village Mandawas, Tehsil Rohel, District Pali.
4. Manaram S/o Shri Ramlal, By Caste Meghwal, R/o Hathlai, Police Station Guda Aendla, District Pali, Rajasthan (Driver Of Vehicle)
5. Raja Babu S/o Shri Dharmichand Ji, By Caste Cheepadarji, R/o 89 Gurudwara Road, Pali, Rajasthan. (Owner Of Vehicle)
6. Kamla W/o Laxman Ji Banjara, R/o 222 Subhash Nagar B, Pali.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Ayush Goyal for Mr. Vinay Kothari
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

<u>Order</u>

<u>17/04/2023</u>

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में पुलिस की जांच में पूर्व में घटना के चश्मदीद साक्षी से जानकारी करने पर पूर्व में

कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से वाहन चालक व वाहन मालिक के विरूद्ध एफआर पेश कर दी गयी थी। आठ माह के बाद प्रोटेस्ट पिटिशन पर पुनः विचारण हेतु मामला भेजा गया व दो गवाह कैलाश व दूदाराम का चश्मदीद साक्षी होना बताया, जिनकी साक्ष्य घटना के लगभग दो साल पश्चात पुलिस द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत ली गयी। गवाह कैलाश ने फौजदारी प्रकरण संख्या 337/2011 में उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखना कथन किया है और गवाह दूराराम के बयानों में भी विरोधाभाष है। यह मामला स्पष्ट रूप से गलत तरीके से वाहन को संलिप्त करने का होने से इस मामले में विद्वान अधिनस्थ अधीकरण के निर्णय एवं अवार्ड को स्थगित किये जाने और प्रकरण को विचारार्थ ग्रहण करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जाने की प्रार्थना की।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपील विचारार्थ ग्रहण कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाता है।

आगामी तारीख पेशी तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली द्वारा एमएसी प्रकरण संख्या 210/2016, धापुदेवी व अन्य बनाम मानाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं पंचाट दिनांक 15.11.2022 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

14-S N LOHRA/-